केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)/
Kendriya Vidyalaya Sangathan(HQ)
18 संस्थागत क्षेत्र / 18, Institutional Area
शहीद जीत सिंह मार्ग/ Shaheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली-110016/ New Delhi – 110016
दूरभाष/ Telephone No. 011-26858570
Email:lekhakvshq@gmail.com

एफ.110239/51/2024/बजट/केवीएस(मुख्या.)　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक: 06.06-2024

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार का कार्यालय ज्ञापन संख्या 28/03/2024-P&PW(B)/Gratuity/9559 दिनांक 30.05.2024 के महंगाई भत्ते की दरें 50% तक पहुंचने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में वृद्धि - सातवीं सीपीसी की सिफारिशों का कार्यान्वयन के संदर्भ में आदेश है। सूचना एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु जारी किया जा रहा है।

Govt. of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Pension & Pensioners' Welfare F. No. 28/03/2024-P&PW(B)/Gratuity/9559 dated 30.05.2024 regarding Enhancement of maximum limit of Gratuity to Central Government employees on reaching the Dearness Allowance rates to 50%- Implementation of recommendations of Seventh CPC is uploaded in the website for information and necessary action.

(संजय कुमार)
उपायुक्त (वित्त)

वितरण:

1. उपायुक्त, के.वी.एस., सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
2. वित्त अधिकारी, के.वी.एस., सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
3. सभी अधिकारी/ अनुभाग, के.वी.एस. (मु.)।
4. प्राचार्य, के.वी. काठमांडू, मास्को एवं तेहरान।

पिछले पृष्ठ पर जारी

No. 28/03/2024-P&PW (B)/Gratuity/9559
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110003, Dated 30.05.2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Enhancement of maximum limit of Gratuity to Central Government employees on reaching the Dearness Allowance rates to 50% - Implementation of recommendations of the Seventh CPC - reg.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 38/37/2016-P&PW (A) (i) dated 04.08.2016 regarding revision of provisions regulating pension/gratuity/commutation of pension/family pension/disability pension/ex-gratia lump-sum compensation, etc. in implementation of the Government's decision on the recommendation of the Seventh Central Pay Commission.

2. Department of Expenditure vide their OM No. 1/1/2024-E-II(B) dated 12.03.2024 has issued instructions regarding enhancement of Dearness Allowance Rates from 46% to 50% of the Basic Pay with effect from 1st January 2024.

3. Accordingly, as per the Government's decisions in implementation of the recommendations of the Seventh CPC, the maximum limit of Retirement Gratuity and Death Gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 or the Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021, would be increased by 25% i.e. from Rs 20.00 Lakh to Rs 25.00 Lakh, with effect from 1st January 2024.

4. All Ministries/Departments are requested to bring the contents of this order to the notice of Controller of Accounts/Pay and Accounts Offices and attached or subordinate offices under them.

5. This issues in consultation with Ministry of Finance, Department of Expenditure vide ID Note No. 1(8)/EV/2024 dated 27.05.2024

6. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, this order is issued in consultation with Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

7. Formal Amendment to the CCS (Pension) Rules, 2021 and the CCS (Payment of Gratuity under NPS) Rules, 2021 will be notified separately.

(Dr. Pramod Kumar)
Director to the Government of India

To,

1. All Ministries/Departments of Government of India
2. Principal Director, Office of Comptroller & Auditor General of India, New Delhi
3. Controller General of Accounts, New Delhi
4. CCA, Central Pension Accounting Office, New Delhi.

सं. 57/02/2021-पी&पीडब्ल्यू(बी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली-110003, दिनांक: 04.06.2024

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: व्यय विभाग के दिनांक 02.07.2019 के का.ज्ञा. के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निरीक्षण तंत्र ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को व्यय विभाग के दिनांक 02.07.2019 के का.ज्ञा.सं.1(24)/ईवी/2016 द्वारा जारी अनुदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए, दिनांक 21.02.2024 और 17.05.2024 को हुई बैठक का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, उक्त कार्यालय ज्ञापन द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस) अंशदानों की उचित निगरानी सुनिश्चित करने और उस राशि का नियमित रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में जमा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में एनपीएस निरीक्षण तंत्र स्थापित करने के संबंध में अनुदेश जारी किए गए थे।

2. उपरोक्त अनुदेशों में यह भी निदेश दिया गया कि उपरोक्त निरीक्षण तंत्र के माध्यम से की गई निगरानी के परिणाम की जानकारी देते हुए एक स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक छमाही पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को भेजी जाए। तदनुसार, इस विभाग के दिनांक 07.06.2021 के अ.शा.पत्र द्वारा छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक प्रोफार्मा भी परिचालित किया गया था।

3. समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने और उसकी उचित निगरानी के लिए, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने https://pensionersportal.gov.in/NPS नामक एक पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल अब प्रयोग के लिए तैयार है।

4. मंत्रालयों/विभागों को पोर्टल हैंडल करने वाले नोडल अधिकारियों के ब्यौरे जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पदनाम प्रस्तुत करने होंगे ताकि उन्हें लॉगइन क्रेडेंशियल भेजे जा सकें। साथ ही, यह सूचित किया जाता है कि नोडल अधिकारी के स्थानांतरण/सेवानिवृत्त होने की दशा में, नए नोडल अधिकारी के ब्यौरे विभाग को यथाशीघ्र भेजे जाएं ताकि अपेक्षित अद्यतन किया जा सके।

5. पोर्टल को हैंडल करने के लिए एक उपयोगकर्ता पुस्तिका तैयार की गई है जिसमें पोर्टल में लॉगइन करने और उसके बाद रिपोर्ट अपलोड करने का तरीका स्पष्ट किया गया है। अतः, उपयोगकर्ता पुस्तिका भी संलग्न है।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि अपनी अक्टूबर, 2023 से मार्च, 2024 एवं आगे की छमाही रिपोर्टें उक्त पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करें।

(ध्रुवज्योति सेनगुप्ता)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

संलग्नक: यथोक्त

वित्तीय सलाहकार

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग